

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०ए०)

वाद सं० : 295 सन 2019

अनवान :-

1. रमेश कुमार 2. प्रहलादसिंह पुत्रगण रोहिताश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. रोहिताश पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :- 6/9/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 45/67 के प०न० 255/384(42) किला न० 14/2 की 0.21505 .15/2 की 0.2024 .16/0.2530 .17/0.2530 .18/0.2530 .24/0.2530 .25/0.2530 हैक कुल 1.68245 हैक में से 1/5 हिस्सा तथा रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 153/244 के खसरा न० 2/2 की 0.2150 , खसरा न० 48/2 की 2.8080 हैक , खसरा न० 188 की 0.9480 हैक , खसरा न० 191/4 की 0.5440 व खसरा न० 253/2.1500 हैक खसरा न० 255/1 की 4.1610 , खसरा न० 269/4 की 2.8450 हैक कुल 13.6710 हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्ती का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार कारतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सुरजाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। ईकवाल दावा तर्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहसा में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की खाता संख्या 45/67 के प०न० 255/384(42) किला न० 14/2 की 0.2150 .15/2 की 0.2024 .16/0.2530 .17/0.2530 .18/0.2530 .24/0.2530 .25/0.2530 हैक कुल 1.68245 हैक में से 1/5 हिस्सा तथा खाता संख्या 153/144 के खसरा न० 2/2 की 0.2150 , खसरा न० 48/2 की 2.8080 हैक , खसरा न० 188 की 0.9480 हैक , खसरा न० 191/4 की 0.5440 व खसरा न० 253/2.1500 हैक खसरा न० 255/1 की 4.1610 , खसरा न० 269/4 की 2.8450 हैक

उपखण्डाधिकारी, राजस्व नोहर

कुल 13.6710 है में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा ढण्डेला बारानी राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्ती का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 45/67 के प० न० 255/384(42) किला न० 14/2 की 0.2150, 15/2 की 0.2024, 16/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530, 24/0.2530, 25/0.2530 है कुल 1.68245 हैक में से 1/5 हिस्सा तथा खाता संख्या 153/144 के खसरा न० 2/2 की 0.2150, खसरा न० 48/2 की 2.8080 हैक, खसरा न० 188 की 0.9480 हैक, खसरा न० 191/4 की 0.5440 व खसरा न० 253/2.1500 हैक खसरा न० 255/1 की 4.1610, खसरा न० 269/4 की 2.8450 हैक कुल 13.6710 है में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा ढण्डेला बारानी राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो जमावन्दीयों से साबित है।

प्रस्तुत पुरानी जमावन्दीयों के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा र सुरजाराम पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुरजाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या- 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 वी बारानी के खाता संख्या 45/67 के प० न० 255/384(42) किला न० 14/2 की 0.2150, 15/2 की 0.2024, 16/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530, 24/0.2530, 25/0.2530 है कुल 1.68245 हैक में से 1/5 हिस्सा तथा रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 153/244 के खसरा न० 2/2 की 0.2150, खसरा न० 48/2 की 2.8080 हैक, खसरा न० 188 की 0.9480 हैक, खसरा न० 191/4 की 0.5440 व खसरा न० 253/2.1500 हैक खसरा न० 255/1 की 4.1610, खसरा न० 269/4 की 2.8450 हैक कुल 13.6710 है में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों यहिय के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)
अनवान :-

1. रमेश कुमार 2. प्रहलादसिंह पुत्रगण रोहिताश जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रोहिताश पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 295 सन 2019 निर्णय दिनांक- 6/9/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 वी वारानी के खाता संख्या 45/67 के प0न0 255/384(42) किला न0 14/2 की 0.21505 ,15/2 की 0.2024 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 हैक कुल 1.68245 हैक में से 1/5 हिस्सा तथा रोही मौजा ढण्डेला वारानी के खाता संख्या 153/244 के खसरा न0 2/2 की 0.2150 खसरा न0 48/2 की 2.8080 हैक , खसरा न0 188 की 0.9480 हैक , खसरा न0 191/4 की 0.5440 व खसरा न0 253/2.1500 हैक खसरा न0 255/1 की 4.1610 , खसरा न0 269/4 की 2.8450 हैक कुल 13.6710 हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/09/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)